

## प्रेस-विज्ञप्ति

**केंद्रीय कृषि विकास संस्थान उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक करेगा चौदह हज़ार करोड़ से अधिक का निवेश.**

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान(संशोधन पूर्व प्रचलित नाम उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान) द्वारा केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों अथवा संस्थागत कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश राज्य शासन अथवा सरकार द्वारा संस्थागत प्रस्तावों के कार्यवाहियों/अनापत्तियों/स्वीकृतियों आदि पर्यन्त केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम यथा केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्यशील है। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान(वर्तमान प्रचलित नाम केंद्रीय कृषि विकास संस्थान) द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में आच्छादित दुग्ध अंश हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जारी सी.एम.आर.संख्या 15157170045184 एवं 15157180025223 के क्रम में @183 करोड़ के निवेश प्रस्ताव यथा शासकीय योजनाओं में संस्थान द्वारा ब्याज युक्त गारण्टी सहित सामान्य जन युक्त केन्द्र/राज्य सरकार आदि सहित निवेश भागीदारी प्रस्ताव पर दुग्ध विकास विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई एवं यु.पी.मिल्क पालिसी-2018 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागीय/मंत्रालयीन परीक्षणोपरांत माननीय प्रधानमन्त्री जी एवं माननीय अध्यक्ष जी नीति आयोग को प्रस्तुत किए गए 11931.80(ग्यारह हज़ार नौ सौ इक्तीस करोड़ एवं अस्सी लाख भारतीय रुपए) करोड़ बजट मांग प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आदेश यथा PMOPG/D/2018/0296165 दिनांक 31.07.2018 के क्रम में पशुधन,डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के आदेश फाइल संख्या 17-1/2018-DP दिनांक 19 सितम्बर 2018 को बजट स्वीकृति के क्रम में सर्वसाधारण आदि हेतु वेबसाइट पर आच्छादित विस्तृत परियोजना आख्या(DPR) हेतु अनुपूरक परियोजना आख्या(SPR) अथवा प्रांतीय परियोजना आदि रिपोर्ट के क्रम में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक उत्तर प्रदेश राज्य में @14914.75 (चौदह हज़ार नौ सौ चौदह करोड़ एवं पचहत्तर लाख) करोड़ का बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न माध्यमों से उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में निवेश प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों अथवा संस्थागत कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन

हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं का वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत वित्तीय वर्ष 2028-29 तक सुनिश्चित कराया जाएगा।

कृते

चन्द्र भूषण पाण्डेय

निदेशक

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान

